पुस्तकालय
3118
8/3/2011

सत्यमेव जयते

असंशोधित

28 FEB 2011

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
पी०स०प्र०सं०...115.......तिथि...14-3-11

बि०स०मु० (एस०ए०वादवृत्त) 183—मोनो—1,000

तारांकित प्रश्न संख्या- १५६ (श्री विक्रम कुंवर, स०वि०स०)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसमें समय चाहिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- १५७ (श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स०)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, १- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

२- खतियान में स्पष्ट रूप से मड़रिया दर्ज नहीं रहने के कारण जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई हो रही थी । इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक १२८५ दिनांक १३.४.२००७ द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया है, लोकहित में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय पत्रांक ५८१ दिनांक २५.२.२०११ द्वारा पुनः सुस्पष्ट निर्देश भेजा जा चुका है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार उक्त जाति को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर रही है ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात बड़ा स्पष्ट है, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया । सिर्फ उस अधिसूचना की प्रति देखवा लिया जाय कि भेजवायें हैं या नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है और उसकी एक प्रति हमें भी उपलब्ध करा देते तो बड़ी कृपा होती ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदानन्द बाबू जब कह रहे हैं तो मैंने कहा कि २५.२.२०११ को फिर भेजा गया है । जिला पदाधिकारी को भेजे पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की जहां तक बात है तो हम उसको करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- १५८ (श्री राहुल कुमार, स०वि०स०)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला के ओकरी ग्राम में थाना सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ वित्त विभाग भेजा गया था । वित्त विभाग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्ट करने का परामर्श दिया गया है और तद्नुसार कार्रवाई चल रही है और थाना सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह आऊट-पोस्ट पिछले २०-२५ वर्षों से चल रहा है और यह एरिया उग्रवाद और अपराधवाद, दोनों से प्रभावित है । पटना, जहानाबाद और नालन्दा तीनों - जिलों का सीमावर्त्ती इलाका भी है तो क्या जल्दी से इसकी कार्रवाई करने की सरकार की मंशा है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह बात सही है कि वहां पर ओ०पी० वर्ष १९८६ के अक्टूबर से चल रहा है और सरकार वहां थाने की उपयोगिता समझती है । इसीलिये वहाँ थाना बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और जैसा कि हमने बताया कि थाना बनाने के लिए सबसे पहले पद सृजन करना होता है और उसके लिए जो अपने स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है - पदवर्ग समिति, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, डेवलपमेंट कमीशनर

सदस्य होते हैं, उस समिति के विचारार्थ वहाँ पर पद सृजन का मामला है और सरकार इसकी उपयोगिता समझती है । इसीलिये वह पद वहां पर स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया है और पद स्वीकृत होते ही थाना वहां पर बनाने की कार्रवाई की जाएगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- १५९ (श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स०)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विगत पांच वर्षों में मुजफ्फरपुर जिला में करीब ३०० कि०मी०, वैशाली में करीब ३०० कि०मी०, नवादा में करीब ३० कि०मी०, गया में करीब ४५० कि०मी० और औरंगाबाद में करीब ७५ कि०मी० बिजली की तार की चोरी हुई है । ...क्रमशः...